COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE
COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE
COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

निरस्त निरस्त

5+1+1+1 = 8.00

(473)

प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नकल तैयारी की तारीख	नकल जारी करने की तारीख	नकल जारी करने वाले के हस्ताक्षर
20/09/2011 बीस सितम्बर सन 2011	21/09/2011 इक्कीस सितम्बर सन 2011	21/09/2011 इक्कीस सितम्बर सन 2011	21.9.11

नकल आदेश दिनांक - 12/9/11 पारित द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी बीकापुर, फैजाबाद वाद सं० - 19, अन्तर्गत धारा - 143 ज०वि० अधि०, ता०फै० - 12/9/11, ग्राम - खजुरहट, परगना - पश्चिमराठ, तहसील - बीकापुर, जनपद - फैजाबाद।

श्री विनायक महाविद्यालय खजुरहट बनाम सरकार

न्यायालय उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट बीकापुर फैजाबाद

छायाप्रति दो पन्ना संलग्न है

न्यायालय उपजिलाधिकारी बीकापुर फैजाबाद।

वाद संख्याः 19

अन्तर्गत धारा–143 ज0 वि0 अधि0

ग्राम–खजुरहट, परगना पश्चिमराठ, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद

श्री तिनायक महाविद्यालय खजुरहट बनाम सरकार।

निर्णय

श्रीमती शशि सिंह पत्नी श्री आनन्द प्रताप सिंह, निवासिनी ग्राम खजुरट, परगना पश्चिमराठ, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद ने प्रार्थनापत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम खजुरहट स्थित गाटा सं0 666 रकबा 0.076 हे0 व गाटा सं0 665मि0/0.390 हे0 श्री तिनायक महाविद्यालय खजुरहट द्वारा प्रबन्धक शशी सिंह पत्नी आनन्द प्रताप सिंह, निवासी ग्राम के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वाद भूमि का उपयोग कृषि कार्य में नहीं हो रहा है। वाद भूमि में महाविद्यालय का भवन तथा चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल निर्मित है। वाद भूमि को गैर कृषि प्रयोजन आबादी घोषित किया जाय।

पत्रावली स्थलीय जाँच हेतु तहसीलदार बीकापुर को प्रेषित की गई। तहसीलदार बीकापुर ने स्थलीय जाँच करके नियम 135 के प्रारूप पर अपनी आख्या प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ग्राम खजुरहट की गाटा सं0 666 रकबा 0.076 हे0 व गाटा सं0 665मि0/0.390 हे0 पर महाविद्यालय का भवन व बाउन्ड्री बनी है। उपरोक्त भूखण्ड पूर्णरूप से अकृषिक के रूप में प्रयोग हो रहा है। आबादी प्रख्यापित करने की संस्तुति की गई है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का विधिवत परिशीलन किया। गाटा सं0 666/0.076 हे0 गाटा सं0 665मि0/0.390 हे0 श्री विनायक महाविद्यालय खजुरहट द्वारा प्रबन्धक शशी सिंह पत्नी आनन्द प्रताप सिंह के नाम सं0 भू0 दर्ज अभिलेख है। ज0 वि0 अधि0 की धारा 143 में यह व्यवस्था है कि कोई भी अंकित खातेदार अपने खाते की भूमि का यदि प्रयोग गैर कृषि प्रयोजन में करता है तो वह इस बात के प्रख्यापन के लिए प्रार्थनापत्र दे सकता है। श्री विनायक महाविद्यालय खजुरहट, फैजाबाद प्रबन्धक शशी सिंह पत्नी आनन्द प्रताप सिंह अंकित खातेदार है। तहसीलदार की जाँच आख्या से भी यह स्पष्ट है कि वाद भूमि का प्रयोग गैर कृषि प्रयोजन में हो रहा है। अतएव गैर कृषि प्रयोजन आबादी प्रख्यापित करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

COURT FEE
5 Rs.
भारत INDIA
पाँच रुपये
FIVE RUPEES

5 = 5.00

(168)

प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नकल तैयारी की तारीख	नकल जारी करने की तारीख	नकल जारी करने वाले के हस्ताक्ष[र]
23/09/2010 तेईस सितम्बर सन् 2010	29/09/2010 उन्तीस सितम्बर सन् 2010	29/09/2010 उन्तीस सितम्बर सन् 2010	29/9/10

नकल आदेश दिनांक 24/9/1[0]
पारित द्वारा न्यायालय उपजिलाधि-
कारी बीकापुर फैजाबाद
वाद सं० - 09, अन्तर्गत धारा
143 ज० वि० अधि०, ता० फैसला
24/9/10, ग्राम - खजुरहट परगना
पश्चिमराठ तहसील बीकापुर
जनपद - फैजाबाद

श्री विनायक महाविद्यालय बनाम सरकार

———— x ————

छायाप्रति एक पन्ना संलग्न है

न्यायालय उपजिलाधिकारी बीकापुर फैजाबाद।

वाद संख्याः 09
अन्तर्गत धारा–143 ज0 वि0 अधि0
ग्राम–खजुरहट, परगना पश्चिमराठ, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद
श्री विनायक महाविद्यालय खजुरहट बनाम सरकार।

निर्णय

श्रीमती शशि सिंह पत्नी श्री आनन्द प्रताप सिंह, निवासिनी ग्राम खजुरट, परगना पश्चिमराठ, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद ने प्रार्थनापत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम खजुरहट स्थित गाटा सं0 633 रकबा 1.574 हे0 श्री विनायक महाविद्यालय खजुरहट द्वारा प्रबन्धक के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वाद भूमि का उपयोग कृषि कार्य में नहीं हो रहा है। वाद भूमि में महाविद्यालय का भवन तथा चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल निर्मित है। वाद भूमि को गैर कृषि प्रयोजन आबादी घोषित किया जाय।

पत्रावली स्थलीय जाँच हेतु तहसीलदार बीकापुर को प्रेषित की गई। तहसीलदार बीकापुर ने स्थलीय जाँच करके नियम 135 के प्रारूप पर अपनी आख्या प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ग्राम खजुरहट की गाटा सं0 633 रकबा 1.574 हे0 पर विनायक महाविद्यालय का भवन बना है। उपरोक्त भूखण्ड पूर्णरूप से अकृषिक के रूप में प्रयोग हो रहा है। आबादी प्रख्यापित करने की संस्तुति की गई है।

पत्रावली प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी की गई। किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। श्री आन्नद प्रताप सिंह, बाहैसियत संरथापक/अध्यक्ष श्री विनायक महाविद्यालय ने न्यायालय पर उपस्थित होकर मौखिक साक्ष्य में अपना बयान दिया है और यह स्वीकार किया है कि वाद भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का विधिवत परिशीलन किया। गाटा सं0 633 रकबा 1.574 हे0 श्री विनायक महाविद्यालय खजुरहट के नाम सं0 भू0 दर्ज अभिलेख है। ज0 वि0 अधि0 की धारा 143 में यह व्यवस्था है कि कोई भी अंकित खातेदार अपने खाते की भूमि का यदि प्रयोग गैर कृषि प्रयोजन में करता है तो वह इस बात के प्रख्यापन के लिए प्रार्थनापत्र दे सकता है। श्री विनायक महाविद्यालय खजुरहट, फैजाबाद शशि सिंह पत्नी आनन्द प्रताप सिंह प्रबन्धक अंकित खातेदार है। तहसीलदार की जाँच आख्या से भी यह स्पष्ट है कि वाद भूमि का प्रयोग गैर कृषि प्रयोजन में हो रहा है। अतएव गैर कृषि प्रयोजन आवादी प्रख्यापित करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम खजुरहट, परगना पश्चिमराठ, तहसील बीकापुर,जिला फैजाबाद की खतौनी 1416 फ0 से 1421 फ0 के खाता सं0 688 के गाटा सं0 633 क्षेत्रफल 1.574 हे0 गैर कृषि प्रयोजन आबादी प्रख्यापित किया जाता है। नियम 136 के अन्तर्गत परवाना अमल दरामद जारी हो तथा उसकी एक प्रति उपनिबन्धक बीकापुर को अभिलेखों में लिपिबद्ध कर निबन्धन हेतु प्रेषित किया जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–24.09.2010

उपजिलाधिकारी,
बीकापुर, फैजाबाद।

निर्णयादेश खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक–24.09.2010

उपजिलाधिकारी,
बीकापुर, फैजाबाद।

order sec(1)
Ad
24/9/10

29/9/10 29/9/10